UPAL010009782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–593 सन् 2026

सनी उर्फ सत्य प्रकाश राजपूत पुत्र राजकुमार निवासी–ग्राम दरगवा थाना पिसावा जनपद–अलीगढ़।

..... अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त सनी उर्फ सत्य प्रकाश राजपूत द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 83/2025, धारा–137(2),87 भारतीय न्याय संहिता, थाना पिंसावा, जिला** अलीगढ में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी प्रेमराज सिंह की पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष को **सनी राजपूत पुत्र राजकुमार** दिनांक–28.05.2025 को रात्रि के समय करीब 10.30 बजे के लगभग धौखा देकर अपने साथ ले गया है और लड़की अपने साथ पचास हजार रूपये नकद और अपने कुछ कपड़े ले गयी है। सनी का मोबाइल नम्बर–9336927618 है।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है उसे वादी मुकदमा द्वारा पुलिस आदि से साज कर कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए गांव की पार्टी बन्दी व चुनावी रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सात दिन विलम्ब से अज्ञात में दर्ज करायी गयी है देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है जो एक सोची समझी साजिश के तहत गांव की राजनैतिक लोगो के द्वारा अभियुक्त व उसके परिवारीजनों पर दवाब बनाने की गरज से करायी गयी है। वादी मुकदमा व अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले है तथा गांव की मात्र कहा सुनी होने के कारण वादी ने अभियुक्त के खिलाफ उक्त झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जहॉ घटना घटित होना बताया गया है अपने घर से जाना बताया गया है परन्तु रात्रि 10.30 बजे के बाद सभी अपने घर पर सो रहे थे, इस तथ्य से अभिप्राय है कि घटना का कोई जन साक्षी नहीं है

क्योकि पीड़िता को किसी ने अभियुक्त को ले जाते नही देखा है। पीड़िता ने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी प्रकार से जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का बयान नही दिया है और कहा गया है कि उसने अभियुक्त के साथ बुलन्दशहर में जाकर शादी कर ली है और दोनो पति पत्नी की तरह रहने लगे। पीड़िता ने अपनी इच्छा से आंतरिक व बाहरी रूप से कोई चिकित्सीय परीक्षण नही कराया है। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0 1 के रूप में बयान दिया जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ किसी भी प्रकार के भगाने के सम्बन्ध में व शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कोई बयान नही दिया है। अभियुक्त एक सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है जिनका आपराधिक कृत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। अभियुक्त को उक्त केस में गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है कोई भी विवेचना अब शेष नही है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 28.05.2025 को रात्रि करीब 10:30 बजे वादी मुकदमा की पुत्री (आयु 17 वर्ष) को अभियुक्त द्वारा धोके से भगाकर ले जाना कहा गया है और वादी मुकदमा की पुत्री द्वारा अपने साथ 50,000/–रूपये नगदी और कुछ कपड़े ले जाना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन. एस.एस. में तहरीर में उल्लिखित कथन का समर्थन किया गया है। दौरान विवेचना पीड़िता स्वयं न्यायालय में उपस्थित आई। जिसके उपरान्त **पीड़िता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि,** *"दिनांक 28.05.2025 को समय शाम 07 बजे मैं अपने घर से किसी को बिना बताये गांव दरगवा में सनी राजपूत के घर पर अपनी मर्जी से चली गयी थी। सनी को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ। हमारी फोन पर बातें होती थी। फिर हम दोनों खुर्जा चले गये वहीं पर रूके। फिर दिनांक 31.05.2025 को बुलंदशहर में शिव मंदिर में सनी के साथ शादी कर ली फिर हम दोनों खुर्जा में ही 01 महीने तक रुके। उसके बाद मैंने व सनी ने मिलकर दिनांक 06.06.2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मु०अ०सं०–83/2025 धारा 137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता के विरूद्ध याचिका डाली थी। जिसका याचिका नम्बर–13255/25 है। मा० उच्च न्यायालय*

के आदेश के अनुपालन में मैंने व सनी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि मेरा न्यायालय में 183 बी० एन०एस०एस० का बयान अंकित कराये जाने की कृपा करें। मा० मुख्य मजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए थाना पिसावा अलीगढ़ को आदेश पारित किये। मैं आज दिनांक 03.07.2025 को स्वयं सनी राजपूत के साथ मा० न्यायालय अलीगढ़ आयी हूँ। मैंने अपनी मर्जी से सनी के साथ शादी की है। हमारे बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बने है।" इसके अतिरिक्त **पीड़िता द्वारा बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि,** *"मैं दिनांक 28.05.2025 को शाम 07 बजे अपनी मर्जी से सनी राजपूत के साथ चली गयी थी। हमने दिनांक 31.05.2025 को बुलंदशहर मंदिर में शादी कर ली है। मैं सनी राजपूत के साथ रहना चाहती हूँ। घर से कोई पैसा जेवर लेकर नहीं गयी थी।"* केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पिड़िता द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से अपना बाहरी व आन्तरिक परीक्षण कराये जाने से इंकार किया गया है। शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष 11 माह होना दर्शित किया गया है तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु (21–22) वर्ष होना उल्लिखित किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त की अग्रिम जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **सनी उर्फ सत्यप्रकाश राजपूत** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।-

1- अभियुक्त के द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए, दाखिल किया जायेगा।

2- अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

3- अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

दिनांक–06.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.06 17:11:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court